न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 81/2023 – निगरानी

1. टीकमचन्द पुत्र देवीलाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, रूपाहेली कलां, रूपाहेली तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी हरिवल्लभ बाहेती (महाजन) निवासी रूपाहेलीकलां तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत हुरडा जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत रूपाहेलीकलां तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत रूपाहेलीकलां पत्रावली संख्या 10, दिनांकित 15.06.1965 पटटा जारी दिनांक 15.12.1967

उपस्थित –

1. निगराकार स्वयं उपस्थित
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से
3. श्री संजय सेन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 सरपंच की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.12.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत रूपाहेलीकलां ने विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 10 दिनांक 15.06.1965 से आराजी नम्बर 655/1 में स्थित एक तलिया बगरज मकान बनाने हेतु पटटा दिनांक 15.12.1967 को जारी किया गया जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। वक्त पटटे की दिनांक को प्रश्नगत पटटा पंचायत की आबादी भूमि में दर्ज रिकार्ड नही होकर चारागाह के रूप में दर्ज रिकार्ड थी। तथाकथित पटटे पर बतौर सरपंच श्री हरिवल्लभ बाहेती के हस्ताक्षर हैं जो विपक्षी संख्या 01 के पति हैं, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 01 को कानूनन पटटा जारी नहीं किया जा सकता हैं। तथाकथित पटटे में वर्णित पडौसों को देखा जावे तो ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर अवस्थित रिकार्डेड रास्ते को भी शामिल करते हुये प्रश्नगत पटटा जारी कर दिया गया था जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रश्नगत पटटा भूखण्ड का क्षैत्रफल 62400 वर्गफीट का मात्र 57 रूपये 76 पैसे में विक्रय कर बापी पटटा जारी किया गया। उक्त रकम का ग्राम पंचायत में जमा होने का कोई रिकार्ड नहीं हैं। तथाकथित पटटा सन् 1967 में जारी किया जाना प्रतीत होता हैं किन्तु इतनी लम्बी अवधि के बावजूद उक्त भूखण्ड पर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ने लिखित में जानकारी दी कि उक्त पटटे की पत्रावली व पटटे का कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 01 को जारी पत्रावली संख्या 10/1965 दिनांकित 15.06.1965 से जारी पटटा दिनांकित 15.12.1967 को खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 01 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत पटटा पूर्णतया पंचायतराज नियमों के तहत जारी किया हुआ हैं। प्रश्नगत पटटा वर्ष 1967 का जारीशुदा हैं, जबकि निगरानी सन् 1996 के अधिनियम के तहत प्रस्तुत की हैं। तत्समय पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधान लागू नहीं थे। निगराकार ने नियमों के विपरीत निगरानी प्रस्तुत की हैं। पटटा आबादी भूमि में जारी किया गया हैं। आराजी संख्या 655 एवं 655/1 अलग अलग हैं ऐसी स्थिति में निगराकार ने आराजी को चारागाह की होना गलत वर्णित करते हुये निगरानी प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य ठहरती हैं। प्रश्नगत पटटा किसी प्राकर से फर्जी एवं कूटरचित नहीं हैं। स्वयं निगराकार ने एक तरफ तो पटटा चारागाह भूमि में होना वर्णित किया है, साथ ही एक अलग पैरा में पटटे को 3 कृषि आराजियों में होने का तथ्य वर्णित किया हैं ऐसी स्थिति में निगराकार ने स्वयं ही विरोधाभासी कथन किये है। मौके पर पटटेशुदा भूखण्ड के चारों ओर चार दीवारी हो रखी हैं। प्रश्नगत पटटा भूखण्ड नेशनल हाईवे 79 से सटे होने से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2019 को विपक्षी संख्या 01 के हक में अवार्ड भी जारी किया है। निगराकार ने उक्त निगरानी पटटा जारी दिनांक से 55 वर्ष पश्चात् बिना किसी आधार के प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर हैं। उक्त पटटा पुराने अधिनियम से जारीशुदा हैं। उक्त पटटे का रिकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं होना विपक्षी संख्या 01 की जिम्मेवारी नही बनती हैं एवं रिकार्ड की अनुपब्लधता से पटटा खारिज योग्य नही बनता हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि निगराकार ने निगरानी में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटे की पत्रावली व रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। निगराकार ने पटटे से संबंधित कोई प्रमाणित दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि पत्रावली पर पटटे से संबंधित कोई भी प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है। जबकि निगराकार ने निगरानी मेमों मे अंकित कि प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व जारी हुआ हैं जिसे निरस्त किया जाये, आधारहीन प्रतीत होता हैं।

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जब निगराकार एवं ग्राम पंचायत द्वारा पटटा पत्रावली या पटटे से संबंधित अन्य दस्तावेजात उपलब्ध नहीं कराये गये है, तो पटटा पत्रावली के अभाव प्रश्नगत पटटा किस प्रकार से विधि विरूद्व जारी हुआ हैं, इसकी विवेचना किया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता हैं। निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व व पश्चात् पटटे की सत्यतता के प्रश्न के संबंध में burden of proof स्वयं निगराकार का ही रहता हैं।

निगराकार ने निगरानी मेमों में अंकन किया कि प्रश्नगत पटटे में पंचायतीराज अधिनियम के नियम 255 से 272 की पालना नहीं की गयी हैं। इस संबंध में यह है कि निगराकार स्वयं ने अंकन किया कि पटटा पत्रावली उपलब्ध नहीं है तो, निगराकार द्वारा प्रश्नगत पटटे में पंचायतीराज नियमों की उल्लघंना किये जाने का कथन भी, बेबुनियाद व आधारहीन ठहरता हैं।

निगराकार ने उक्त प्रश्नगत पटटे निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत लगभग 55 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की हैं, जिसमें बिना कोई ठोस कारण अंकित किये पटटा निरस्तीकरण हेतु, बिना प्रमाणिक दस्तावेजात के प्रस्तुत की हैं, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगन पटटे की निगरानी प्रकरण में पटटा पत्रावली व पटटे से संबंधित अन्य दस्तावेजात के अभाव में प्रश्नगत पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा